प्रारूप-9

नियम 8(2) देखिये

संख्या 04161/2021-2022 दिनांक 10/01/2022

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण
संख्या:R/HAR/14161/2021-2022 पत्रावली संख्या:I-166522 दिनांक:2011-2012

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **ज्ञानदर्पण एजूकेशनल सोसाइटी, ग्राम बजेहरा, पोस्ट-सिरसा,जिला-हरदोई, हरदोई , 241404** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 2118/2011-12 दिनांक-04/11/2011 को दिनांक-04/11/2021 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है |

1100 रूपये की नवीनीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है |

Digitally Signed By
(VINAY KUMAR SRIVASTAVA)
37DB1857CADDAF8F210B104D9790F0BEF56E7C4A
Date: 10/01/2022 2:52:11 PM, Location: Lucknow.

जारी करने का दिनांक-10/01/2022

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश ।

CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 38AE 522074

यह जनरल स्टाम्प पेपर ज्ञान दर्पण एजुकेशनल सोसाइटी

जिला हरदोई फाईल नं० 1665/22

सूची वर्ष 2021-22 के साथ संलग्न है

सत्य प्रतिलिपि

12.01.22

ज्ञानदर्पण एजूकेशनल सोसाइटी पता—ग्राम बजेहरा पो0सिरसा जिला—हरदोई
के प्रबन्धकारिणी समिति की सूची वर्ष—2021—22

क0सं0	नाम / पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1—	श्री चन्द्रपाल यादव पुत्र श्री केदार सिंह यादव	म0नं0 424,कीरतनगर कालोनी,लखीमपुर खीरी	अध्यक्ष	एडवोकेट
2—	श्री उमाकान्त सिंह पुत्र श्री रामखेलावन सिंह	ग्राम बजेहरा पो0सिरसा जिला—हरदोई	उपाध्यक्ष	शिक्षक
3—	श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र स्व0 रामभरोसे सिंह	ग्राम बजेहरा पो0सिरसा जिला—हरदोई	सचिव / प्रबन्धक	समाजसेवा
4—	श्री धर्मवीर सिंह पुत्र श्री अयोद्वी सिंह	ग्राम बजेहरा पो0सिरसा जिला— हरदोई	कोषाध्यक्ष	कृषि
5—	श्री राजीव कुमार पुत्र श्री रामऔतार	ग्राम मढिया पो0महोलिया शिवपार जिला—हरदोई	सदस्य	कृषि
6—	श्री महेश प्रसाद पुत्र श्री बल्देव	ग्राम टण्डौरखेडा पो0.गोपामऊ जिला—हरदोई	सदस्य	कृषि
7—	श्रीमती रामदेवी पत्नी श्री रामवीर	ग्राम मढिया पो0महोलिया शिवपार, जिला—हरदोई	सदस्य	गृहणी

—सत्य प्रतिलिपि—

हस्ताक्षर—

1 [signature]

2 महेश प्रसाद

3 UK Singh

4 [signature]

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
लखनऊ

12/01/22

संशोधित स्मृति पत्र

1–संस्था का नाम : ज्ञानदर्पण एजूकेशनल सोसाइटी
2–संस्था का पता : ग्राम बजेहरा पो0सिरसा जिला–हरदोई
3–संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उ0प्र0
4–संस्था के उद्देश्य –

1. बालक बालिकाओं के लिए प्रारम्भिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा स्तर तक शिक्षा विभाग के मानको के अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर संचालित करना तथा उनके पठन पाठन की समुचित व्यवस्था करना।
2. पल्स पोलियो ड्राप,एड्स,कैन्सर,टी0बी0,हैपेटाइटिस,मधुमेह, नशामुक्ति, कुष्ठ रोग मलेरिया एवं जानलेवा रोगों की पहचान/जांच कर उसकी रोकथामं के उपाय करना तथा जागरूकता शिविरो की आयोजन कर उनका उन्मूलन करना।
3. महिलाओं/बालिकाओं तथा युवकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई,कढाई,बुनाई शिल्पकला, ब्यूटीशियन कोर्स, हस्तशिल्पकला, ललित कला,संगीत,गायन,वादन फैशन डिजाइनिंग, चिकन प्रिन्टिग, जरी,ज्वैलरी मेकिंग, मेंहदी, वाल पेन्टिग, मिटट्टी के वर्तन, फ्लावर मेकिंग, अचार, मुरब्बा, फल संरक्षण खादी तथा कलात्मक वस्तुओं के निर्माण आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाकर उन्हें स्वावलम्बी बनाना तथा हस्तशिल्प उद्योगों को बढावा देना तथा हस्तशिल्पियों के विकास एवं उत्थान एवं पुर्नवास की समुचित व्यवस्था कराना।
4. अनु0जाति,जनजाति,कमजोर वर्ग एवं पिछडे,अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं/महिलाओं हेतु आधुनिक शिक्षण संस्थाओं जैसे –कम्प्यूटर शिक्षा,व्यावसायिक शिक्षा,तकनीकी शिक्षा तथा इलेक्ट्रानिक प्रशिक्षण केन्द्रो की निःषुल्क व्यवस्था कर संचालित करना तथा बेरोजगार बालक बालिकाओं के लिए हार्डवेयर/साफ्टवेयर का निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था कर संचालित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना।
5. राज्यसरकार,केन्द्र सरकार,समाज कल्याण विभाग,उ0प्र0एवं केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, महिला कल्याण निगम,हस्तशिल्प वस्त्र मंत्रालय विभाग,नाबार्ड,कपार्ट,सिडवी,सिफ्सा, अल्पसंख्यक विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, खादी ग्रामोद्योग आयोग, ग्रामोद्योग बोर्ड, कृषि मंत्रालय विकास विभाग, मद्य निषेध, सांस्कृतिक विभाग,प्रोढ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा एवं बाल विकास कल्याण निदेशालय, बागवानी बोर्ड, यूनीसेफ विकलांग विभाग एवं महिला कोष ग्राम्य विकास विभाग,ग्रामीण मंत्रालय,परिवार कल्याण मंत्रालय, हाल्टिकल्चर विभाग पिछडा वर्ग विभाग,वन विभाग व अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा संचालित विकास कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार कार्य करना।

1. प्रबन्धक
ज्ञानदर्पण एजूकेशनल सोसायटी
बजेहरा हरदोई
2 इतेन्द्र पाल सिंह
3 CK Singh
4 महेश प्रसाद

सत्य प्रतिलिपि
प्रधान सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
लखनऊ
05/11/18

6. समाज के मूक, बधिर, नेत्रहीन, बहरे,लंगडे लोगो के शैक्षिक बौद्धिक विकास हेतु शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाये खोलना तथा योग्यतानुसार शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त कर उन्हें स्वावलम्बी बनाना।

7. मेधावी छात्रो के लिए मेडिकल/ इंजीनियरिंग कालेज आदि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना शासन की अनुमति के उपरान्त करना व समाज की मुख्य धारा से जोडने के लिए सतत प्रयास करना।

8. विधवा निराश्रित,प्रताडित,पीडित,असहाय,परित्यक्ता तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिको के बच्चे-बच्चियों को निःशुल्क शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा षासन द्वारा प्रदत्त सुविधाओं को उपलब्ध कराना।

9. शासन द्वारा संचालित ट्राइसेम योजना,एकीकृत ग्राम्य विकास योजनान्तर्गत महिलाओ तथा बेरोजगारों को निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलाकर स्वावलम्बी बनाना तथा महिला/युवको के समूहो का गठन करना ।

10. सामाजिक कुरीतियों जैसे-दहेज प्रथा,मद्यपान,महिला उत्पीडन,घरेलू हिंसा,अस्पृष्यता निवारण, धूम्रपान आदि के निवारणार्थ विचार गोष्ठियों /शिविरों के माध्यम से जन हित में प्रचार प्रसार करना तथा किसी जाति धर्म एवं ऊँच नीच की भावनाओं को दूर करना एवं पीडितों की मदद करना ।

11. ग्रामीण स्वच्छता, षुद्ध पेयजल, ग्रामीण विकास,ग्रामीण अंचलों में जल एवं भूमि प्रबन्धन कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना तथा हैण्डपम्प नाली सम्पर्क मार्ग,खडंजा आदि की समुचित व्यवस्था कराने का प्रयास करना

12. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड,उ0प्र0अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग कमीशन जिला उद्योग केन्द्र की प्रवृत्ति व पैटर्न के अनुसार ग्रामोद्योगो कुटीर उद्योगो रेषम उद्योग की स्थापना व प्रचार प्रसार करना।

13. अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम वर्ग) के बालक बालिकाओं के लिए मदरसा की व्यवस्था कर संचालित करना तथा हिन्दी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी भाषाओं के तालीम की व्यवस्था करना।

14. आवासीय विद्यालय, अनावासीय विद्यालय,अल्पसंख्यक विद्यालय,मिड डे स्कूल,महिला श्रमजीवी आवास एवं ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की समुचित व्यवस्था कर संचालित करना।

15. बालबाडी, आंगनबाडी, पालनाघर,कैच ,शिशु रक्षा केन्द्र, बाल आश्रम, अनाथालय, विधवा आश्रम , बृद्धाश्रम एवं बाल सम्प्रेषण गृह केन्द्र की व्यवस्था करना तथा बच्चो के आहार एवं निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा की समुचित व्यवस्था कराना।

16. रक्तदान, नेत्र चिकित्सा, दन्त चिकित्सा, नेत्रदान, परिवार नियोजन, दुर्घटना पीडितो के उत्तम स्वास्थ्य के लिए टीकाकरण आदि कार्यक्रमों को स्वास्थ्य विभाग के अनुमति के उपरान्त कराना।

निबंधक, फर्म्स, सोसाइटीज ... लखनऊ (उ०प्र०)

1 प्रबन्धक
नागदर्पण एजूकेशनल सोसायटी
भजेहरा हरदोई

2 इतेन्द्र पाल सिंह

3 U.K.Singh

4 महेश प्रसाद

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
...लखनऊ

17. संस्था के माध्यम से मोबाइल डिस्पेन्सरी कैम्प, स्वास्थ्य कैम्प,समय–2 पर नि:शुल्क चिकित्सा निर्धन, निराश्रित, पिछडे वर्ग एवं कमजोर वर्ग के लोगों को चिकित्सा उपलब्ध कराना।

18– जनसंख्या नियंत्रण, स्वास्थ्य कल्याण,टीकाकरण,कुष्ठ उन्मूलन, आदि कार्यकमों का प्रचार प्रसार करना ।

19– आर0सी0एच0बाल प्रजनन व बाल स्वास्थ्य कार्यकमों का प्रचार प्रसार करना।

20. ज्ञानवर्धन हेतु नि:शुल्क पुस्तकालय,वाचनालय की स्थापना करना तथा स्वाध्याय द्वारा व्यक्तित्व विकास के लिए प्रेरित करना।

21. आकस्मिक आपदा,जैसे महामारी,सूखा,बाढ,अग्निकाण्ड,ओलावृष्टि,तूफान, भूकम्प, सडक दुर्घटना एवं सडक सुरक्षा आदि के समय सम्बन्धित पीडितो की हरसंभव सहायता करना।

22– वायु, जल व ध्वनि प्रदूषण,पर्यावरण संरक्षण,प्रदूषण के रोकथाम के लिए प्रचार प्रसार तथा प्रदूषण की रोकथाम के कार्य करना तथा वृक्षारोपण जैसे राष्ट्रीय कार्यकमों का प्रचार प्रसार करना।

23– युवा खिलाडियो के लिए खेल प्रतियोगिताओं को कराकर उन्हे जिला स्तर,प्रदेश स्तर,राष्ट्रीय स्तर तक खेल में सम्मिलित करना तथा कुशल खिलाडियो को पुरूस्कृत करना व खेल के प्रति रूचि पैदा करना।

24–अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं के शैक्षिक उत्थान के लिए विद्यालय, कालेज, महाविद्यालय,तकनीकी शिक्षण संस्थान/महाविद्यालय एवं विश्व विद्यालय/यूनिवर्सिटी की स्थापना करना व उसका संचालन करना । शिक्षा संविधान की धारा 29, 30 के अन्तर्गत अल्पसंख्यकों के स्कूल, कालेज, डिग्री कालेज , महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय खोलना और उनका संचालन करना।

25– अल्पसंख्यक वर्ग तथा अन्य सभी वर्गो के विकास हेतु यू0पी0बोर्ड,सी0बी0 एस0ई0बोर्ड,आई0सी0एस0ई0बोर्ड,किसी भी बोर्ड व विश्वविद्यालय से सम्बद्धता व मान्यता प्राप्त करना, डिग्री कालेजों तथा मेडिकल कालेज, तकनीकी शिक्षण संस्थाओं तथा यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय स्थापित करना व संचालन करना।

1 प्रबन्धक
...नन्दन एजूकेशनल सोसायटी
बजेहरा हरदोई

इतेन्द्र पाल सिंह

3 UKSingh

4 महेश प्रसाद

निबन्धक, फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स ... लखनऊ (उ0प्र0)

सत्य प्रतिलिपि
प्रधान सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
... लखनऊ

संशोधित नियमावली

1–संस्था का नाम : ज्ञानदर्पण एजूकेशनल सोसाइटी

2–संस्था का पता : ग्राम बजेहरा पो0सिरसा जिला–हरदोई

3–संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उ0प्र0

4–संस्था की सदस्यता तथा सदस्यो के वर्ग–

कोई भी महिला /पुरूष जो इस संस्था के नियमों का पालन करने को तैयार हो व संस्था के उद्देश्यों में आस्था रखते हो इस संस्था का सदस्य हो सकेगा, जिसमें प्रबन्धक/सचिव की संस्तुति अनिवार्य होगी।

संस्थापक सदस्य–

संस्था की स्थापना श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा की गई है जो संस्थापक सदस्य कहलायेगें, आजीवन सदस्य होगें। इनके स्वेच्छा से हटने या मृत्यु होने पर इनके वारिस/उत्तराधिकारी स्वतः संस्थापक सदस्य हो जायेगे।

आजीवन सदस्य– जो व्यक्ति निःस्वार्थ भाव से एक बार में 11000/–रूपये नगद या उससे अधिक व उतने ही मूल्य की चल अचल सम्पत्ति प्रदान करता हो वह संस्था का आजीवन सदस्य होगा।

विशिष्ट सदस्य– सरकार द्वारा सम्मानित उपाधि प्राप्त विद्धानो एवं समाज मे प्रतिष्ठित लोगों को ही इस संस्था का विशिष्ट सदस्य बनाया जायेगा।

सामान्य सदस्य– जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु 1100/–रूपये वार्षिक सदस्यता शुल्क प्रदान करता हो वह संस्था का सामान्य सदस्य होगा।

5–सदस्यता की समाप्ति–

1–मृत्यु हो जाने पर।

2–पागल या दिवालिया हो जाने पर।

3– लगातार 03 बैठकों में बिना किसी स्पष्ट कारण के अनुपस्थित होने पर।

4–नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न अदा करने पर।

5–किसी नैतिक अपराध में न्यायालय द्वारा दंडित होने पर।

6–संस्था के प्रति हानिकारक कार्य करने पर।

7–अविश्वास प्रस्ताव या त्यागपत्र देने पर।

8–संस्थापकों की मृत्यु होने या स्वेच्छा से हटना ही लागू होगा अन्य कारण संस्थापकों पर लागू न होगा।

6–संस्था के अंग –

1–साधारण सभा

2–प्रबन्धकारिणी समिति

(मुहर: निबन्धक, फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स ... मण्डल लखनऊ (उ0प्र0))

1 (हस्ताक्षर) प्रबन्धक
ज्ञानदर्पण एजूकेशनल सोसायटी
बजेहरा हरदोई

2 इतन्द्र पाल सिंह

3 U.K. Singh

4 महेश प्रसाद

सत्य प्रतिलिपि
(हस्ताक्षर)
प्रधान सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
... मण्डल लखनऊ

7–साधारण सभा–

गठन– संस्था के संस्थापक,आजीवन तथा सामान्य सदस्यो को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।

बैठके– संस्था की सामान्य बैठक साल में एक बार तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि–
संस्था की सामान्य बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व लिखित रूप में दी जायेगी।

गणंपूर्ति– साधारण सभा के 2/3 सदस्यो की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।

विशेष वार्षिक अधिवेषन की तिथि–
साधारण सभा की सामान्य बैठक का वार्षिक अधिवेशन साल में एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 सदस्यों के बहुमत से तय की जायेगी।

साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य–
1–संस्था का प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना।
2–संस्था का वार्षिक बजट पास करना।
3–संस्था की वार्षिक रिपोर्ट पास करना।
4–नियमो में संशोधन परिवर्तन व परिवर्धन करना।

8–प्रबन्धकारिणी समिति –
गठन– साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यो को मिलाकर प्रबन्धकारिणी समिति का गठन होगा जिसमें अध्यक्ष–1,उपाध्यक्ष–1, सचिव/प्रबन्धक–1, कोषाध्यक्ष–1, तथा सदस्य–03 होगा इस प्रकार कुल संख्या–07 होगी तथा सदस्यो की संख्या घटाई बढाई जा सकती है।

बैठक– प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में चार बार तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि– प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 03 पूर्व लिखित रूप में दी जायेगी।

गणपूर्ति– प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 सदस्यो की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी।

रिक्त स्थान की पूर्ति–
प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत यदि कोई स्थान रिक्त होता है तो उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यो के बहुमत से शेष कार्यकाल के लिए की जायेगी।

1 प्रबन्धक
...एजूकेशनल सोसायटी
...हरदोई
2 इतेन्द्र पाल सिंह
3 U.K. Singh
4 महेश प्रसाद

सत्य प्रतिलिपि
प्रधान सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ मण्डल लखनऊ

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य–

1– संस्था की उन्नति हेतु आवश्यक कार्य करना।

2– संस्था का वार्षिक बजट तथा वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।

3– दान,अनुदान,चन्दा प्राप्त करना तथा संस्था के विकास में लगाना।

4– उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार,केन्द्र सरकार,कपार्ट,अवार्ड,नावार्ड, सिडवी,मानव संसाधन विकास मंत्रालय,यूनीसेफ,स्वास्थ्य मंत्रालय,पर्यावरण मंत्रालय,जिला उद्योग केन्द्र,कृषि विभाग,स्थानीय निकायो ,समाजसेवी संस्थाओं,दानशील व्यक्तियों एवं अन्य स्रोतो से दान एवं अनुदान प्राप्त करना । सरकारी एवं गैर सरकारी एजेन्सियों,स्थानीय ,राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय संगठन/संस्थाओं कारपोरेट संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करना तथा वित्तीय कर्ज,लोन,एवं अन्य प्रकार की सहायता प्राप्त करना अथवा प्रदान करना । संस्था भविष्य में ट्रस्ट में समायोजित की जा सकेगी ।

कार्यकाल– प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 05 वर्ष का होगा, अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष का चुनाव होगा जबकि प्रबन्धक/सचिव का कोई चुनाव न होगा वह आजीवन संस्था में रहेगा तथा उसके उपरान्त उसके वारिस/उत्तराधिकारी को यह अधिकार प्राप्त होगा। प्रबन्ध समिति प्रबन्धक/सचिव को वेतन भुगतान भी सुनिश्चित कर सकती है।

9. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य –

अध्यक्ष–

1. समस्त बैठको की अध्यक्षता करना।
2. समान मत होने पर निर्णायक मत देना।
3. बैठकों के लिए दिनांको का अनुमोदन,परिवर्तन तथा बैठकों को स्थगित करना।

4– बैठक में शान्ति व्यवस्था कायम रखना।

उपाध्यक्ष–

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य करना और उसके कार्यो में सहयोग प्रदान करना।

सचिव/प्रबन्धक–

1– संस्था के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में करना।

2– प्रबन्धकारिणी समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना।

3– पारित बजट के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति देना।

4– समस्त बैठको की सूचना सदस्यों को लिखित रूप में देना।

5– बैठकों की कार्यवाही लिपिबद्ध करना।

6– संस्था के समस्त पत्र व्यवहार करना।

7– राजकीय सहायता तथा ऋण,अनुदान,चन्दा प्राप्त करना।

8– समस्त बिल,बाऊचर,ऋणपत्र,मांगपत्र,चैक अनुबन्ध पत्रों तथा अन्य आवश्यक प्रपत्रों में हस्ताक्षर करना।

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ मण्डल लखनऊ

9— संस्था की चल अचल सम्पत्ति की सुरक्षा तथा उस पर नियंत्रण रखना।

10— संस्था में तकनीकी,गैर तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षक एवं कर्मचारियो की नियुक्ति निलम्बन तथा पदोन्नति,वेतन वितरण ,वेतन बृद्धि, वेतन निर्धारण,पदच्युत व सेवा समाप्ति का आदेश करना।

11— संस्था की ओर से समस्त अदालती कार्यवाही का संचालन करना।

12. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यकतानुसार मु0 50,000/ रूपये स्वयं व्यय करना, मु0 1,00,000/तक अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति लेकर व्यय करना तथा इससे अधिक व्यय के लिए प्रबन्ध समिति की स्वीकृति लेकर व्यय किया जायेगा।

13. संस्था के अभिलेखों को अपने अभिरक्षण सुरक्षित रखना।

14— सदस्यो का नाम रजिस्टर में लिखना।

15— संस्था के हित में अन्य वे सभी कार्य करना जो आवश्यक हो।

16— संस्था के विकास के लिए सरकारी,अर्द्धसरकारी एवं स्थानीय निगम, संस्थान, कार्यालयों एवं संस्थाओं से स्थापित करके कार्य करना।

कोषाध्यक्ष—

1— आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करना।

2— दान,अनुदान,चन्दा प्राप्त करना तथा संस्था के विकास में लगाना।

3— अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना।

4— संस्था हित में पूर्ण सहयोग करना।

10—संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रकिया—

संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन परिवर्तन,परिवर्धन साधारण सभा की बैठक में 3/5 के बहुमत से सोसाइटी रजिं0अधिनियम की धारा—12 एवं 4(क) के अनुसार किया जायेगा।

11—संस्था का कोष—

संस्था का कोष किसी राष्ट्रीय कृत बैंक स्थानीय बैंक ,शेडयूल्ड बैंक या पो0आ0 में संस्था के नाम खाता खोला जायेगा तथा खाते का संचालन सचिव/प्रबन्धक के हस्ताक्षर से किया जायेगा ।

12—संस्था के आय व्यय का लेखा जोखा परीक्षण—

संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष सुयोग्य आडिटर द्वारा कराया जायेगा।

1. प्रबन्धक
ज्ञानदर्पण एजूकेशनल सोसायटी
बजेहरा हरदोई

2. इन्द्र पाल सिंह

3. UKsingh

4. महेश प्रसाद

सत्य प्रतिलिपि
प्रधान सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ मण्डल लखनऊ

CamScanner

13–संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व

संस्था के द्वारा अथवा संस्था के विरूद्ध सभी प्रकार के वाद विवाद जिन्हे हरदोई के सक्षम न्यायालय में दायर किये जा सकेगें तथा समस्त प्रकार के अदालती कार्यवाही के संचालन का दायित्व संस्था के प्रबन्धक/सचिव अथवा उनके द्वारा किसी नामित सदस्य द्वारा किया जा सकेगा।

14–संस्था के अभिलेख–

1–कार्यवाही रजिस्टर
2–सदस्यता रजिस्टर
3–स्टाकं रजिस्टर
4–कैशबुक,लेजर आदि।

15– संस्था के विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

दिनांक–

– सत्य प्रतिलिपि –

हस्ताक्षर–

1. प्रबन्धक
ज्ञानदर्पण एजूकेशनल सोसायटी
बजेहरा हरदोई

2. इन्द्रपाल सिंह

3. U.K. Singh

४ महेश प्रसाद

निबन्धक, फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स ... लखनऊ (उ०प्र०)

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान सहायक
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
लखनऊ